उत्तर प्रदेश शासन,
वित्त (सामान्य) अनुभाग-3,
संख्या-27/2025/सा-3-586/दस-2025-328(13)/2024 टी.सी.
लखनऊः दिनांक 25 सितम्बर, 2025

<u>कार्यालय-ज्ञाप</u>

उत्तर प्रदेश सिविल पेंशन कम्यूटेशन रूल्स, 1941 के अन्तर्गत पेंशन की राशिकृत धनराशि की वसूली 15 वर्ष में किये जाने सम्बन्धी प्राविधान एवं तत्सम्बन्धी वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या-सा-3-1508/दस-2008-308-97, दिनांक-08.12.2008 को निरस्त किये जाने हेतु मा. उच्च न्यायालय, इलाहाबाद एवं खण्डपीठ लखनऊ में विभिन्न रिट याचिकायें योजित की गयी हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पेंशन के राशिकृत भाग के पुनर्स्थापन (Restoration) के सम्बन्ध में विचार कर संस्तुति प्रदान करने के प्रयोजन से कार्यालय ज्ञाप संख्या-सा-3-36/दस-328(13)/2024, दिनांक-04.02.2025 द्वारा समिति गठित की गयी। मा. उच्च न्यायालय की लखनऊ खण्डपीठ में सर्वप्रथम रिट याचिका संख्या-ए-5617/2024 डॉ. ओम प्रकाश श्रीवास्तव व अन्य बनाम उ.प्र. राज्य व अन्य एवं कनेक्टेड रिट याचिकाओं में मा. न्यायालय द्वारा राज्य सरकार द्वारा गठित उक्त समिति को संज्ञान में लेते हुए दिनांक-28.05.2025 को आदेश पारित किये गए, जिसका कार्यकारी अंश निम्नवत है:-

"21. Having heard learned counsel for the parties and having perused the material available on record it is clear from the records that the Vth Central Pay Commission and IInd National Judicial Pay Commission have recommended that it would be reasonable to restore the commuted portion of pension after 12 years, instead of 15 years and the Punjab National Bank has got its specific provision for restoration of commuted portion of pension after 15 years, whereas there is no specific act or rule or regulation to that effect relating to the employees of the State of U.P. and such exercise of commutation of pension is being undertaken in the light of the Government Order dated 13.7.1987 and also subsequent Government Orders including the Government Order dated 8.12.2008, therefore, keeping in a view the fact that the Additional Chief Secretary, Department of Finance, U.P. has constituted a committee vide Office Memo dated 4.2.2025 for considering and disposing of the grievance of the petitioners of the bunch of writ petitions who are aggrieved from the action / inaction on the part of the concerning authorities restoring the commuted portion of pension after 15 years instead of 10 years 11 months or 11 years or at the most 12 years, I am not entering into the merits of the issue at this stage, rather I am disposing of the bunch of writ petitions finally at the admission stage, without interfering the impugned government orders giving liberty to the petitioners of the present bunch of writ petitions to approach such committee either personally or through the office bearers of their Association, if any, preferring their representation taking all pleas and grounds which are available to them enclosing therewith the copies of the relevant documents which are necessary for the disposal of such representation within a period of one month and if such representation is preferred to the aforesaid committee, the issue regarding the restoration period needs to be examined de novo by said committee strictly in accordance with law by a speaking and

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

reasoned order by affording an opportunity of hearing to the petitioners with expedition preferably within a period of three months from the date of production of such representation along with certified copy of the order of this Court and decision thereof shall be intimated to the persons who have preferred such representation with expedition.

22. It is expected from the aforesaid committee that proper help, aid or advise from expert agency/institution may be taken in terms of para 2 of the office memo dated 4.2.2025 so that the grivance of the petitioners could be redressed properly.

23. Till the appropriate decision is taken on the aforesaid representations of the petitioners or their associations, if any, no recovery shall be executed from the petitioners of the bunch of this writ petition.

24. It is needless to say that if the petitioners feel themselves aggrieved from the order being passed by the aforesaid committee on their representation, they may approach the competent court of law for redressal of their grievances, if any.

25. Accordingly, the bunch of all the writ petitions are being disposed of finally in view of the aforesaid terms."

2. मा. उच्च न्यायालय के उक्त आदेश दिनांक-28.05.2025 के अनुपालन में याचीगण द्वारा अपना प्रत्यावेदन समिति के अध्यक्ष को संबोधित करते हुए प्रस्तुत किया गया है। उक्त प्रत्यावेदनों को दिनांक-27.06.2025 तक स्वीकार करते हुए समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया।

3. गठित कमेटी द्वारा प्राप्त याचीगण के प्रत्यावेदनों पर विचार करते हुए निम्नवत संस्तुति की गयी है:-

"**<u>प्रत्यावेदन के मुख्य बिन्दु:-</u>**

रिट याचिका संख्या-ए-5617/2024 डॉ. ओम प्रकाश श्रीवास्तव व अन्य बनाम उ.प्र. राज्य व अन्य के मुख्य याचिककर्ता के प्रत्यावेदन दिनांक-25.06.2025 में मुख्य बिन्दु निम्नवत है:-

(1) A Pensioner is required to fill the Commutation Application Form so as to avail lumpsum commuted amount. A copy of the Application Form to avail commuted amount is annexed herewith as Annexure No.1 (Page No. 14) to this Representation. The application does not provide 15 years as time period for recovery of commuted amount.

(2) The commuted amount is recovered along with interest @8% per annum by deducting an amount from the pension on a monthly basis for 15 years where as the actual amount of principal and interest is recovered in 10 years and 11 months. A copy of calculation chart which was annexed in the leading Writ Petition-Writ A No. 5617 of 2024 is annexed herewith as Annexure No.2 (Page No. 24) to this Representation. The said calculations were made on the basis of the calculations made in the 2nd National Judicial Pay Commission, which is the standard method of making calculations. Thus the calculations made for deduction cannot be disputed. The method/procedure of calculations is the same, which Govt. follows while extending advances i.e. principal amount is recovered first and then the interest is calculated and recovered.

(3) That the commutation table annexed to the G.O. has been copied, except the last line, from the commutation table (w.e.f. 02.09.2008) annexed to the Central Civil Services

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

(Commutation of Pension) Rules, 1981. The Central table mentions 8% as the rate of interest whereas no interest rate has been mentioned in the table annexed to G.O. in U.P. Therefore, it is quite logical to assume that U.P. Govt. cannot charge interest while recovering the commuted amount.

(4) Restoration period of 12 years suggested by V CPC appears to be more than adequate. Infact as per the workings given by the Commission supra, it is seen that the lump sum paid in lieu of commutation stands recovered with interest rate of 8% p.a. within 11 years. Even after giving due allowance to unforeseen contingencies, prima facie, it is reasonable to conclude that the restoration ought to take place on the expiry of 12 years and not beyond that.

That the commutation factor expressed in the commutation table in terms of number of years of purchase (8.194 years for Pensioner retiring at 60 years of age) was evolved by the experts after taking into account all tangible and risk factors, figures and pension's provisions along with cost to the exchequer. The risk factor due to demise of Pensioner being before recovery of amount and due to other factors is taken into account during the preparation of commutation table. The Institute of Actuaries has clarified that the value of Re.1/- per annum, payable annually for 15 years @ 8% per annum without consideration of mortality, death benefits are other benefits would be 8.56. That is to say, the commuted value of pension i.e. 8.194 taken at the age of 60 years is less than the Net Present Value being 8.56. The aforesaid fact has been stated by the Institute of Actuaries, Navi Mumbai to the 2nd National Judicial Pay Commission which was accepted in para 1.10 of its report.

5th Central Pay Commission in its report submitted in January 1997 in para No. 136.10 (page 1822). The relevant para is quoted hereunder:-

"136.10 As mentioned earlier, the commuted value of pension receivable currently by an employee retiring at the normal age of 58 years is equal to 10.46 years' purchase. We have, however, separately recommended that the age of superannuation be raised from 58 to 60 years. Consequently, the commutation value in respect of employees superannuating at the age of 60 years and commuting a portion of pension within a period of one year would be equal to 9.81 years' purchase. After adding thereto a further period of two years for recovery of interest in terms of the observations of the Supreme Court, it would be reasonable to restore the commuted portion of the pension after 12 years, instead of 15 years as at present. We recommend accordingly. In arriving at this decision, we have also taken note of fact that several State Governments, such as Kerala, Madhya Pradesh, Orissa and Punjab, now permit restoration after a similar period of 12 years."

(5) That commutation table effective from 01.01.2006 is based on interest @ 8%. The earlier table was based on rate of interest 4.75% per annum. The Number of years of purchase/commutation factor at the age of 61 years was reduced from 9.81 to 8.194. This led to 16.5% reduction in lump sum commuted amount. Thus, not only lump sum commuted amount was decreased by 16.5% but rate of interest was almost doubled w.e.f.

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

01.01.2006. The aforesaid change in lump sum commuted amount and rate of interest most certainly justified reduction in period of recovery/restoration so as to reduce the burden of pensioners after their retirement. A copy of both the commutation tables are collectively annexed herewith as Annexure no 7 (Page No. 71-72)to this Representation .

(6) That the restoration of full pension after 15 years instead of 10 years and 11 months lacks a mathematical basis and the same is per se and ex facie arbitrary and irrational resulting in unjust enrichment of the State at the expense/loss of senior citizens and it is contrary to the duty and responsibility of the State to act as a model employer. It is violative of the provisions of the Constitution of India and undue harassment to the Pensioners.

<u>प्रत्यावेदन के मुख्य बिन्दुओं की विवेचना :-</u>

(1) <u>बिन्दु संख्या-3(1):</u> मा. उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक-09.12.1986, जिसका उल्लेख इस आदेश के प्रस्तर-1(1) में किया गया है, द्वारा पेंशन के राशिकृत भाग के पुनर्स्थापन की अवधि को 15 वर्ष किया गया। मा. उच्चतम न्यायालय के उपरोक्त आदेश के अनुपालन में केन्द्र सरकार द्वारा निर्गत कार्यालय ज्ञाप दिनांक-05.03.1987 के क्रम में उत्तर प्रदेश सरकार के शासनादेश दिनांक-23.07.1987 द्वारा पेंशन के राशिकृत भाग के पुनर्स्थापन की अवधि 15 वर्ष की गयी। यह सभी आदेश याचीगण की सेवानिवृत्ति की तिथियों के पूर्व के है। अतः, याचीगण का यह कथन कि उन्हें इस व्यवस्था की जानकारी नहीं थी कि राशिकृत पेंशन का पुनर्स्थापन 15 वर्ष के उपरान्त किया जायेगा, मान्य नहीं है।

सेवानिवृत्ति के पूर्व, सम्बंधित कर्मचारी द्वारा सेवानिवृत्तिक लाभों के संबंध में प्रपत्र भरवाये जाते है इनमें पेंशन प्रारम्भ करने, राशिकरण स्वीकृत किये जाने तथा ग्रेच्युटी स्वीकृत किये जाने संबंधी प्रपत्रों के अतिरिक्त कर्मचारी के परिवार का विवरण, पेंशन भुगतान हेतु कोषागार का चयन, बैंक खाते का विवरण आदि भी लिये जाते हैं ताकि पेंशन स्वीकृति की प्रक्रिया सुगम रहे तथा स्वीकृत की जाने वाली राशि में पारदर्शिता बनी रहे। पेंशन/पारिवारिक पेंशन/ग्रेच्युटी/राशिकरण के आगणन एवं तत्संबंधी शर्तों का निर्धारण सुसंगत नियमों एवं शासनादेशों के द्वारा किया जाता है। प्रत्येक सरकारी कर्मचारी से यह आपेक्षित होता है कि वह संबंधित नियमों की जानकारी रखे। प्रपत्र में नियमों एवं शर्तों का उल्लेख किया जाना आवश्यक नहीं है। याचीगण का यह कथन कि राशिकरण से संबंधित प्रपत्र में राशिकरण के नियम/शर्तों का उल्लेख नहीं है, अत: पेंशन के राशिकृत भाग की वसूली नहीं की जानी चाहिए, पोषणीय नहीं है। इसी प्रकार याचीगण का यह कथन कि तत्संबंधी प्रावधानों की जानकारी उन्हें नहीं थी, पोषणीय नहीं है।

(2) <u>बिन्दु संख्या-3(2):</u> याचीगण द्वारा कहा गया है कि पेंशन की राशिकृत भाग की वसूली के संबंध में द्वितीय राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग (SNJPC) द्वारा प्रस्तावित आगणन उचित है। ज्ञातव्य है कि SNJPC के प्रतिवेदन पर निर्णय न्याय विभाग, भारत सरकार द्वारा लिया जाना था। पेंशन की राशिकृत भाग की वसूली कितनी अवधि में की जानी चाहिए, इस संबंध में न्याय विभाग, भारत सरकार के आदेश उपलब्ध नहीं कराये गये हैं। यहाँ महालेखाकार, केरल के आदेश संख्या-PM/2/6-17(a)/23-24, दिनांक-18.08.2023 का संज्ञान लिया जाना आवश्यक है , जिसके द्वारा न्यायिक अधिकारियों के पेंशन की राशिकृत भाग का पुनर्स्थापन 15 वर्ष रखे जाने का स्पष्ट उल्लेख है, जिसका सुसंगत अंश निम्नवत है:-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

"Existing rate of 50% of basic pension for Commutation will continue. Commutation factor fixed as 8.194 from 01/01/2016 and existing restoration period 15 years will continue."

याचीगण द्वारा राशिकरण के फलस्वरूप मिलने वाली राशि की वसूली राज्य सरकार के द्वारा राज्य कर्मियों को स्वीकृत किये जाने वाले विभिन्न अग्रिमों की वसूली की प्रक्रिया के अनुसार किया जाना उचित बताया गया है, जबकि दोनों ही व्यवस्थाएं पूर्णत: भिन्न हैं। राशिकृत पेंशन की वसूली का जो गणना चक्र याचीगण द्वारा प्रत्यावेदन के साथ संलग्न किया गया है तथा जिसे याचीगण द्वारा रिट याचिका संख्या-5617/2024 के साथ भी संलग्न किया गया है, त्रुटिपूर्ण है, जिसके खंडन में राज्य सरकार की ओर से दाखिल प्रतिशपथ-पत्र के साथ आगणन शीट दाखिल की गयी है। इसके अतिरिक्त याचीगण द्वारा किये गए आगणन में Mortality Factor का संज्ञान नहीं लिया गया है। अतः यह बिन्दु पोषणीय नहीं है।

(3) <u>बिन्दु संख्या-3(3):</u> याचीगण द्वारा कहा गया है कि शासनादेश दिनांक 08.12.2008 के साथ संलग्न राशिकरण तालिका को सेंट्रल सिविल सर्विसेज (कम्यूटेशन ऑफ पेंशन) रूल्स, 1981 में दी गयी तालिका, जो दिनांक 02.09.2008 से प्रभावी है, पर आधारित है। केन्द्र सरकार के नियमों में दी गयी तालिका में 8 प्रतिशत ब्याज दर उल्लिखित है जबकि उत्तर प्रदेश सरकार के शासनादेश दिनांक 08.12.2008 में संलग्न तालिका में ब्याज दर का उल्लेख नहीं है अत:, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राशिकरण पर ब्याज वसूल किया जाना तर्कसंगत नहीं है। यहां ध्यातव्य है कि उक्त तालिका जिसे उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अंगीकृत करते हुये शासनादेश दिनांक 08.12.2008 में सम्मिलित किया गया है, को समग्र रूप में अंगीकृत किया गया है, अर्थात, जिन सिद्धांतों एवं शर्तों के साथ उक्त तालिका केन्द्र सरकार द्वारा निर्मित की गयी है, वही समग्रता में राशिकरण की प्रक्रिया पर लागू होंगे न कि याचीगण द्वारा इच्छित आंशिक रूप से। अत: यह बिन्दु पोषणीय नहीं पाया गया।

(4) <u>बिन्दु संख्या-3(4):</u> इस बिन्दु में याचीगण द्वारा मुख्यतया यह कहा गया है कि पंचम केन्द्रीय वेतन आयोग द्वारा अपने प्रतिवेदन के प्रस्तर 136.10 में यह संस्तुति की गयी है कि मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा किये गये आब्जर्वेशन्स के क्रम में पेंशन के राशिकृत भाग का पुनर्स्थापन (Restoration) 12 वर्ष की अवधि के उपरान्त दे दिया जाना चाहिए। पंचम वेतन आयोग की उक्त संस्तुति में यह भी उल्लिखित है कि केरल, मध्यप्रदेश, उड़ीसा और पंजाब राज्यों में राशिकृत पेंशन के पुनर्स्थापन की अवधि 12 वर्ष है।

यहां यह ज्ञातव्य है कि पंचम वेतन आयोग की उक्त संस्तुति को केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकार नहीं किया गया है और राशिकृत पेंशन के पुनर्स्थापन की अवधि 15 वर्ष यथावत रखी गयी है। यह भी ज्ञातव्य है कि वर्तमान में मध्यप्रदेश और पंजाब में पेंशन के पुनर्स्थापन की अवधि 15 वर्ष ही है न कि 12 वर्ष।

मध्य प्रदेश के सम्बन्ध में यह ज्ञातव्य है कि "The Madhya Pradesh Civil Services (Commutation of Pension) Rule, 1996, जो दिनांक-21.08.1996 को प्रख्यापित किया गया, के अनुसार पेंशनर की आयु 70 वर्ष हो जाने पर राशिकृत भाग का पुनर्स्थापन कर दिया जायेगा। तत्समय सेवानिवृत्ति की आयु 58 वर्ष थी। इस प्रकार 12 वर्ष की अवधि के उपरान्त राशिकृत भाग के पुनर्स्थापन की व्यवस्था थी। मध्य प्रदेश सरकार की अधिसूचना क्रमांक-12-14/2009/नियम/चार दिनांक-05.02.2013 द्वारा उक्त व्यवस्था को संशोधित करते हुए पेंशन के राशिकृत भाग के पुनर्स्थापन की अवधि राशिकरण की तिथि से 15 वर्ष कर दिया गया। मध्य प्रदेश सरकार के उपरोक्त आदेश में यह स्पष्ट रूप से उल्लिखित है कि राशिकरण की राशि का समायोजन राशिकरण की तिथि से 15 वर्ष में पूर्ण होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(5) <u>बिन्दु संख्या-3(5):</u> याचीगण द्वारा कहा गया है कि दिनांक 01.01.2006 के पूर्व, 61 वर्ष पर राशिकरण गुणक 9.81 तथा उस समय लागू राशिकरण तालिका 4.75 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर आधारित थी। दिनांक 01.01.2006 से लागू राशिकरण तालिका में राशिकरण गुणक घटाकर 8.194 कर दिया गया तथा यह तालिका 8 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर आधारित है।

ज्ञातव्य है कि उक्त दोनों राशिकरण तालिकाएं केन्द्र सरकार द्वारा निर्गत की गयी है, जिन्हें न केवल उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अंगीकृत करते हुए प्रदेश सरकार के पेंशनर्स के लिए लागू किया गया है अपितु केरल तथा उड़ीसा को छोड़कर अन्य प्रमुख राज्यों यथा- मध्य प्रदेश, पंजाब, बिहार एवं अन्य राज्यों (गुजरात, छत्तीसगढ़, उत्तराखण्ड, पश्चिम बंगाल, हरियाणा आदि) में भी लागू किया गया है।

(6) <u>बिन्दु संख्या-3(6):</u> याचीगण द्वारा कहा गया है कि पेंशन के राशिकृत भाग का पुनर्स्थापन 10 वर्ष 11 माह के बजाय 15 वर्ष पर करने का कोई गणितीय आधार नहीं है। याचीगण का यह कथन पूर्णत: त्रुटिपूर्ण है। इस सम्बन्ध में बिन्दु-3(2) में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

अत: याचीगण का कथन पोषणीय नहीं है।

<u>भारतीय जीवन बीमा निगम में पेंशन राशिकरण की व्यवस्था</u>:-

Life Insurance Corporation Of India (Employees) Pension Rules, 1995 के नियम-41 में पेंशन राशिकरण के सम्बन्ध में व्यवस्था निर्धारित है, जिसमे पेंशन राशिकरण की वसूली 15 वर्ष निर्धारित की गयी है। नियम-41(4) में दर्शायी गयी तालिका में 61 वर्ष पर राशिकरण की वैल्यू 9.81 है, जो तत्समय केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित राशिकरण वैल्यू के समान है। नियम 55(B) एवं 56 में यह स्पष्ट रूप से उल्लिखित है कि निगम के कार्मिकों पर पेंशन तथा पेंशन राशिकरण के सम्बन्ध में, केन्द्र सरकार के नियम लागू होंगे।

<u>भारतीय स्टेट बैंक में पेंशन राशिकरण की व्यवस्था</u>:-

भारतीय स्टेट बैंक के Know Your Superannuation Benefits (KYSB) (Updated as on 31st May, 2018) में भारतीय स्टेट बैंक के कार्मिकों हेतु पेंशन राशिकरण की वसूली 15 वर्ष निर्धारित की गयी है। भारतीय स्टेट बैंक में 61 वर्ष पर राशिकरण गुणक 6.60 है, जो केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित राशिकरण वैल्यू 8.194 से कम है। यही स्थिति प्रत्येक वर्ष के लिए निर्धारित राशिकरण गुणक (commutation factor) के संबंध में है अर्थात, केन्द्र सरकार द्वारा निर्गत तालिका में दिये गये राशिकरण गुणक से कम है। इसके बावजूद, राशिकृत भाग के पुनर्स्थापन की अवधि 15 वर्ष ही है।

<u>पंजाब नेशनल बैंक में पेंशन राशिकरण की व्यवस्था</u>:-

Punjab National Bank (Employees) Pension Regulation,1995 के नियम-41 में पेंशन राशिकरण के सम्बन्ध में व्यवस्था निर्धारित है, जिसमे पेंशन राशिकरण की वसूली 15 वर्ष निर्धारित की गयी है। नियम-41(4) में दर्शायी गयी तालिका में 61 वर्ष पर राशिकरण की वैल्यू 9.81 है, जो केंद्र सरकार द्वारा तत्समय निर्धारित राशिकरण वैल्यू के समान है। नियम-55 में यह स्पष्ट रूप से उल्लिखित है कि PNB के पेंशनर पर पेंशन तथा पेंशन के राशिकरण के सम्बन्ध में केन्द्र सरकार के नियम लागू होंगे। पंजाब, मध्य प्रदेश एवं बिहार राज्यों के पेंशन राशिकरण नियमों के सुसंगत अंश है।

<u>कुछ प्रमुख राज्य सरकारो में पेंशन राशिकरण के संबंध में व्यवस्था:-</u>

पंजाब, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, बिहार, कर्नाटक, उत्तराखण्ड, तमिलनाडु, आन्ध्र प्रदेश जैसे राज्यों में पेंशन के राशिकरण हेतु वही तालिका लागू है जो केन्द्र सरकार द्वारा निर्गत की गयी है। राशिकृत

http://shasanadesh.up.gov.in

पेंशन के पुनर्स्थापन की अवधि भी केन्द्र सरकार के समान 15 वर्ष ही है। मात्र केरल और उड़ीसा राज्यों में ही राशिकृत पेंशन के पुनर्स्थापन की अवधि 12 वर्ष है।

<u>प्रत्यावेदन का निस्तारण:-</u>

(1) याचीगण के प्रत्यावेदन के मुख्य बिन्दुओं की विवेचना समिति द्वारा पूर्ववर्ती प्रस्तरों में की गयी है। इसके अतिरिक्त, समिति द्वारा मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की इलाहाबाद पीठ एवं लखनऊ पीठ द्वारा सम विषयक रिट याचिकाओं में पारित आदेशों में मा0 उच्च न्यायालय, पंजाब एवं हरियाणा द्वारा रिट याचिका संख्या-9426/2023 शीला देवी व अन्य बनाम पंजाब राज्य में पारित ओदश दिनांक 27.11.2024 का अध्ययन किया गया। मा0 उच्च न्यायालय,इलाहाबाद/लखनऊ द्वारा पारित आदेशों में भिन्नता दृष्टिगोचर होती है। मा0 उच्च न्यायालय, पंजाब एवं हरियाणा द्वारा भी रिट याचिका संख्या-9426/2023 शीला देवी व अन्य बनाम पंजाब राज्य व अन्य इस निर्देश के साथ खारिज की जा चुकी है कि परिवर्तित मानदण्डों (Parameters) का संज्ञान लेते हुए पंजाब सरकार द्वारा गठित समिति द्वारा राशिकरण के पुनर्स्थापन का परीक्षण किया जाय।

(2) याचीगण द्वारा पंचम वेतन आयोग एंव द्वितीय राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग की संस्तुतियों एवं मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये ऑब्जर्वेशन्स का उल्लेख किया गया है। इसके अतिरिक्त ब्याज दर, जीवन प्रत्याशा एवं मृत्यु दर में हुये परिवर्तनों एवं संशोधित जीवन तालिका का संदर्भ देते हुये राशिकृत पेंशन के पुनर्स्थापन की अवधि को घटाये जाने की मांग की गयी है। केन्द्र सरकार द्वारा वर्तमान में लागू राशिकरण तालिका, जो सम्प्रति प्रदेश में लागू है, का निर्माण उपरोक्त सभी कारकों (Factors) के आधार पर किया गया है जिसमें जटिल Actuarial गणनायें निहित हैं।

(3) समिति द्वारा केरल एवं उड़ीसा राज्य सरकार की व्यवस्थाओं का भी संज्ञान लिया गया जिनके द्वारा राशिकृत पेंशन का पुनर्स्थापन 12 वर्ष के उपरान्त किये जाने का प्रावधान है। यह भी देखा गया कि केन्द्र सरकार एवं अधिकांश राज्य सरकारों में राशिकृत पेंशन के पुनर्स्थापन की अवधि 15 वर्ष ही है।

(4) समिति द्वारा इस तथ्य का भी संज्ञान लिया गया कि प्रमुख वित्तीय संस्थानों यथा- LIC, SBI एवं PNB में भी राशिकृत पेंशन के पुनर्स्थापन की अवधि 15 वर्ष ही है। वस्तुतः इस संस्थाओं द्वारा भी केन्द्र सरकार के नियमो का ही अनुसरण किया गया है।

(5) मा. उच्च न्यायालय, इलाहबाद के खण्डपीठ लखनऊ में योजित रिट याचिका संख्या-4753/2025 कौशल किशोर मिश्र एवं 03 अन्य बनाम भारतीय स्टेट बैंक एवं 02 अन्य में मा. उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक-05.05.2025 में, एक अन्य रिट-ए-12905/2024 दान बहादुर यादव बनाम प्रबन्ध निदेशक (बैंक ऑफ़ बड़ौदा) में पारित आदेश आदेश दिनांक-11.02.2025 के कुछ अंशों को उद्धृत किया गया है। आदेश दिनांक-11.02.2025 का अधोलिखित अंश विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है:-

"13. We have to examine the challenge to the Regulation laying down the policy of fixing 15 years duration for restoration of commuted pension on the test of Wednesbury unreasonableness. The Regulation fixing 15 years period for restoration of full pension has been framed by the Bank of Baroda. Matters related to commutation of pension are complex affairs involving vexed issues traversing diverse field which calls for application of specialized expertise. It is a settled position that in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

such matters the Court would venture only in case of manifest and apparent arbitrariness.

15. Moreover, the petitioner availed of the benefit of commutation of pension in the year 2013, without raising any objection to the stipulated period of 15 years for restoration of pension and, therefore, the petitioner is estopped from challenging the validity of the Regulation which provides for restoration of full pension after 15 years since its commutation."

मा. उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक-05.05.2025 द्वारा रिट याचिका संख्या-4753/2025 को निम्नलिखित आदेश के साथ खारिज किया गया:-

"6. In the case at hand, the petitioners have availed of the benefit of commutation at the time of their respective retirement from the services of the State Bank of India without raising any objection to the stipulated period of 15 years for restoration of pension and therefore, the petitioners are estopped from questioning the validity of the Regulation which provides for restoration of full pension after 15 years since the date of commutation. That apart, nothing has been brought on record to indicate that the judgment and order dated 11.02.2025 passed in the aforesaid writ petition has been challenged in the higher forum.

7. Since the facts of the instant case are similar to those of Writ-A No. 12905 of 2024, which petition was dismissed on 11.02.2025, we do not find any reason to take a different view and, therefore, for the same very reasons as observed in the judgment and order dated 11.02.2025 passed in Writ-A No. 12905 of 2024, the present writ petition is dismissed. No order as to costs."

(6) राज्य सरकार के पेंशनरों को पेंशन के एक भाग के राशिकरण की सुविधा राज्य सरकार द्वारा निर्गत आदेशों के अन्तर्गत अनुमन्य है। प्रचलित नियमों के अन्तर्गत राशिकरण की सुविधा प्राप्त कर लेने के 10-12 वर्षों के उपरान्त यह मांग करना कि राशिकृत पेंशन के पुनर्स्थापन की अवधि घटा दी जाय, उचित नहीं है। मा0 उच्च न्यायालय के उपरोक्त आदेश दिनांक 05.05.2025 में यही सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है।

(7) उपरोक्त समस्त परिस्थितियों एवं तथ्यों तथा राशिकरण प्रक्रिया में निहित जटिलताओं को दृष्टिगत रखते हुये समिति का मत है कि इस विषय को राज्य सरकार की ओर से आठवें केन्द्रीय वेतन आयोग को संदर्भित कर दिया जाय। आठवें केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों पर केन्द्र सरकार द्वारा लिये जाने वाले निर्णय के आधार पर प्रदेश सरकार द्वारा निर्णय लिया जाना उचित होगा। इस मध्य वर्तमान व्यवस्था यथावत बनाये रखी जाय।

उल्लेखनीय है कि मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद की लखनऊ खण्डपीठ में योजित रिट याचिका संख्या-5617/2024 डॉ0 ओम प्रकाश श्रीवास्तव व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य के साथ सम्बद्ध विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित आदेश दिनांक 28.05.2025 के अनुपालन के क्रम में याचीगण के लगभग 2000 से अधिक प्रत्यावेदन, जो अध्यक्ष समिति को संबोधित हैं, प्राप्त हैं। अत: मुख्य याचिकाकर्ता के प्रत्यावेदन में उल्लिखित बिन्दुओं पर उपरोक्त तथ्यात्मक विवेचना एवं समिति की संस्तुतियों के आलोक में समस्त प्रत्यावेदनों को निस्तारित किये जाने की संस्तुति की जाती है।"

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

4– मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद की लखनऊ खण्डपीठ में योजित रिट याचिका संख्या- 5617/2024 डॉ0 ओम प्रकाश श्रीवास्तव व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य के साथ सम्बद्ध विभिन्न रिट याचिकाओं में पारित आदेश दिनांक 28.05.2025 के अनुपालन के क्रम में याचीगण द्वारा प्रेषित शासन में लगभग 2000 से अधिक समविषयक प्रत्यावेदन प्राप्त है, जिसका पृथक-पृथक निस्तारण संभव नहीं है।

अतः उत्तर प्रदेश के सेवानिवृत्त कार्मिकों की पेंशन के राशिकृत भाग के पुनर्स्थापन हेतु निर्धारित समयावधि पर विचार-विमर्श किये जाने हेतु गठित समिति की उक्त संस्तुति के आलोक में शासन में प्राप्त समस्त प्रत्यावेदनों को एतद्द्वारा निस्तारित किया जाता है।

दीपक कुमार
अपर मुख्य सचिव।

संख्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसार

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. मुख्य स्थायी अधिवक्ता, मा. उच्च न्यायालय इलाहाबाद एवं खण्डपीठ लखनऊ के इस आशय से प्रेषित कि मा. उच्च न्यायालय में राशिकरण के पुनर्स्थापन के सम्बन्ध में योजित समस्त रिट याचिकाओं में उक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करें।
2. निदेशक, पेंशन निदेशालय, उ.प्र. को इस निर्देश सहित प्रेषित कि कृपया मुख्य स्थायी अधिवक्ता, मा. उच्च न्यायालय इलाहाबाद एवं खण्डपीठ लखनऊ से संपर्क कर राशिकरण के पुनर्स्थापन के सम्बन्ध में योजित समस्त रिट याचिकाओं में यथावश्यक कार्यवाही कराने के साथ ही समस्त याचीगण (सूची संलग्न) को अपने स्तर से तदनुसार सूचित करने का कष्ट करें।
3. सम्बंधित समस्त प्रत्यावेदक ।
4. सम्बंधित अधिकृत पेंशनर्स संगठन, उ.प्र.।
5. गार्ड फाइल।

विजय कुमार सिंह
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।